संख्या: 130/2018/2439/छप्पन-2018-31/16

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर, 2018

विषय: जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर के निकट नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय।

महोदय,

जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर के निकट नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) परियोजना में राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के अन्तर्गत भूमि के प्रतिकर हेतु रू0 2300 (रूपए तेईस सौ मात्र) प्रति वर्गमीटर की दर तथा परियोजना हेतु 1239.1416 हैक्टेयर भूमि हेतु कुल प्रतिकर लगभग रू0 2852 करोड़ के व्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) परियोजना में भूमि अर्जन/अधिग्रहण की कुल लागत लगभग रू0 2852 करोड़ (रूपए दो हजार आठ सौ बावन करोड़ मात्र) में से राज्य सरकार के अंश के सापेक्ष रू0 1500 करोड़ (रूपए पन्द्रह सौ करोड़ मात्र) की शासनादेश संख्या-106/2018/2002/छप्पन-2018-31/2016 दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 द्वारा निर्गत रू0 2,40,02,12,360/- (रूपए दो अरब चालीस करोड़ दो लाख बारह हजार तीन सौ साठ मात्र) एवं शासनादेश संख्या-114/2018/2129/छप्पन-2018-31/2016 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा निर्गत रू0 12,59,97,87,640/- (रूपए बारह अरब उनसठ करोड़ सत्तानवे लाख सत्तासी हजार छः सौ चालीस मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) राजस्व अनुभाग-13 की अधिसूचना संख्या-6/2018/208/एक-13-2018-5क(25) /2013टी0सी0 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत भू अर्जन हेतु प्रतिकर लागत की 2.50% धनराशि जो प्रशासनिक व्यय के रूप में विनिर्दिष्ट है, अर्जन व्यय की 2.50% धनराशि को नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को दिए जाने से छूट प्रदान किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) राजस्व अनुभाग-13 की अधिसूचना संख्या-6/2018/208/एक-13-2018-5क(25) /2013टी0सी0 दिनांक 13 अप्रैल, 2018 में दी गयी तालिका के क्रमांक-2, क्रमांक-3, क्रमांक-4 एवं क्रमांक-5 पर अंकित मदों से सम्बन्धित प्रस्तावित/वास्तविक व्यय का वहन नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा कलैक्टर, जिला गौतमबुद्ध नगर द्वारा उपलब्ध/सत्यापित कराए गए प्रस्तावित/वास्तविक व्यय के विवरण के अनुसार किए जाने हेतु नागरिक उड्डयन विभाग को निर्दिष्ट किया गया।

(5) अर्जन व्यय के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 2,85,01,06,180/- (रूपए दो अरब पच्चासी करोड़ एक लाख छः हजार एक सौ अस्सी मात्र) को प्रतिकर के रूप में ऑकलित धनराशि रू0 2852 करोड़ (रूपए दो हजार आठ सौ बावन करोड़ मात्र) में समायोजित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(6) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ, को सम्बन्धित विभागों द्वारा निःशुल्क रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध/अन्तरित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(7) पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन (R&R) हेतु आवश्यक धनराशि का ऑकलन कलैक्टर, गौतमबुद्ध नगर से प्राप्त होने पर इसके प्रशासकीय तथा वित्तीय अनुमोदन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजना हेतु चयनित परामर्शदाता संस्था प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राईवेट लि0 द्वारा तैयार कराए गए Bid (RfQ cum RfP) document एवं Concession Agreement Document को भारत सरकार के अनुमोदन के उपरान्त PMIC द्वारा Term of Reference के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही NIAL के सहयोग से सम्पादित किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) नॉएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) कम्पनी को एयरपोर्ट का विकास Public Private Partnership (PPP) मोड पर किए जाने हेतु अधिकृत किए जाने, राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि को NIAL द्वारा लीज पर दिए जाने, विकासकर्ता के चयन तथा एयरपोर्ट का विकास आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रबन्धन हेतु (लीज पर अथवा किसी अन्य प्रकार से) दिये जाने आदि का अधिकार 90 वर्षों के लिए प्रदान किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(10) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना के निमित्त भूमि अधिग्रहण/अर्जन से कानून व्यवस्था की कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो, इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही व व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट किया गया।

(11) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना के कारण विस्थापित लोगों को जिस स्थान पर अवासित किया जाएगा वहॉ मानक के अनुसार परिषदीय विद्यालय विद्यमान न होने की दशा में ऐसे स्थानों को नई बसावट मानते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के विभागीय बजट के माध्यम से आवश्यक विद्यालयों की स्थापना किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(12) प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्र में पड़ने वाली सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की परिसम्पत्तियॉ राजवाहा/ बाजौता राजवाहा/ दयानतपुर राजवाहा/ किशोरपुर अल्पिका/ पथवाया नाला सहित अपनी सभी अवस्थापनाएं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को विस्थापित करनी होंगी और इस पर होने वाला व्यय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट के माध्यम से वहन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(13) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना के निमित्त भूमि अधिग्रहण/अर्जन से प्रभावित आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय सह गोदाम एवं अन्य कार्यालयों हेतु बैकल्पिक व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के विभागीय बजट के माध्यम से किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

4/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना के निमित्त भूमि अधिग्रहण/अर्जन से प्रभावित कृषि योग्य भूमि के रकवे के बराबर की कृष्य बेकार भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने की व्यवस्था किये जाने हेतु परती भूमि विकास विभाग को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(15) नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना के निमित्त भूमि अधिग्रहण/अर्जन के कारण महिला कल्याण विभाग द्वारा उनके अभिमत में उल्लिखित परिसम्पत्तियों/कार्यालयों अथवा अन्य अवस्थापनाओं आदि के विस्थापन/पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का व्यय/व्यवस्था महिला कल्याण विभाग द्वारा स्वयं अपने विभागीय बजट से किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर की स्थापना हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में यथावश्यक कार्यवाही कलैक्टर, जिला गौतमबुद्ध नगर से समन्वय स्थापित कर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

पृ0सं0-130/2018/2439(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ नॉएडा/ ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0 (NIAL)।
5. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in